

कार्यालय मुख्य अग्निशमन  
पत्र संख्या: एसटी/एफएस/आई-3(भवन-सी)/2018  
सेवा में,

अधिकारी, वाराणसी  
दिनांक: मई 06, 2019

अधिशाली अभियन्ता,(भवन),  
वाराणसी विकास प्राधिकरण,  
वाराणसी।

विषय:- ONER- SRI. GHURE LAL S/O LET. BALLI & BABUA PRASAD,  
SAKALNARAYAN S/O LET. VISSU ALAIS VISHWNATH, VILL-HASIMPUR,  
PARAGANA- SHIVPUR, DISTT- VARANASI द्वारा आराजी नं०-MI 8 & MI 12,  
मौजा लालपुर अनौला, परगना-शिवपुर, वाराणसी पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण  
हेतु प्रोविजनल अग्निशमन प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के संबंध में।

संदर्भ:- आपका पत्रांक: 106/17/गु०हा०/विन्यास/वि०प्रा०/2017-18 दिनांक: 20.02.2019 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रस्तावित स्थल का प्रस्तुत मानचित्र के अनुसार  
अग्निशमन अधिकारी चेतगंज, वाराणसी द्वारा अग्निशमन सुरक्षा एवं जीवरक्षा की दृष्टिकोण से स्थलीय  
निरीक्षण कराया गया तो उनकी आख्या दिनांक: 05.05.2019 का सुसंगत मानको के अनुसार परिशीलन  
किया गया, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

A. भवन की संरचना:-

AREA CHART			
S.NO.	DESCRIPTION	AREA	SQM.
1	TOTAL PLOR AREA(As per site)	3144.74	SQM.
2	LAND LEFT FOR ROAD WIDENING AREA	3125.30	SQM.
3	NET PLOT AREA	3125.30	SQM.
4	COVERED AREA ON STILT FLOOR(GROUND FLOOR)	915.57	SQM.
5	COVERED AREA ON GROUND FLOOR (SHOP)	35.62	SQM.
6	PARKING AREA ON STILT FLOOR(915.57-35.62)	879.95	SQM.
7	TOTAL LIFT AREA (4.52 +4.36)	8.88	SQM.
8	COVERED AREA ON FIRST FLOOR (830.13-8.88) LIFT	821.25	SQM.
9	COVERED AREA ON SECOND FLOOR	821.25	SQM.
10	COVERED AREA ON THIRD FLOOR	821.25	SQM.
11	COVERED AREA ON FORTH FLOOR	821.25	SQM.
12	COVERED AREA ON FIFTH FLOOR	821.25	SQM.
13	COVERED AREA ON SIXTH FLOOR	821.25	SQM.
14	COVERED AREA ON SEVENTH FLOOR	821.25	SQM.
15	COVERED AREA ON EIGHTH FLOOR	821.25	SQM.
16	COVERED AREA ON NINETH FLOOR(646.56-8.88)	637.68	SQM.
17	COVERED AREA ON TENTH FLOOR	637.68	SQM.
18	COVERED AREA ON ELEVENTH FLOOR(589.52-8.88)	580.64	SQM.
19	COVERED AREA ON MUMTY & MACHINE ROOM	107.64	SQM.

---२५२

C.F.O.  
VNS.

20	COVERED AREA ON WATER TANK	37.60	SQM.
21	COVERED AREA FOR F.A.R. =35.62+821.25×8+637.68×2+580.64+8.88	8470.50	SQM.
22	GROUND COVERAGE= 915.57×100/3125.30	29.29%<40%	
23	UPPER BASEMENT AREA(PARKING)	942.79	SQM.
24	LOWER BASEMENT AREA(PARKING)	942.79	SQM.
25	E.W.S. = 35 SQM×8.70=304.50		
26	L.I.G. = 41 SQM×8.70= 356.70	661.20	
27	F.A.R.= (8470.5-661.20=7809.30/3125.30	2.498<2.50	

- B. भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी:**— प्रस्तावित भवन का अधिभोग एन.बी.सी. 2016 की आवासीय भवन की श्रेणी **A-4** के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।
- C. ढांचागत व्यवस्था:**—
- 1. पहुँच मार्ग:**— प्रस्तावित भवन मानचित्र के अनुसार 12 मीटर से अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित है।
  - 2. प्रवेश द्वार की चौड़ाई:**— प्रस्तावित भवन के मानचित्र में 09.97 मीटर का प्रवेश द्वार बनाया जाना प्रदर्शित है।
  - 3. सेटबैक :**— प्रस्तावित भवन का सेटबैक निम्नवत है:—  
 ए— अग्रभाग— 09.00 मीटर  
 बी— पृष्ठभाग— 09.00 मीटर  
 सी— पार्श्व प्रथम— 09.04 मीटर  
 डी— पार्श्व द्वितीय— 09.00 मीटर  
 सेटबैक नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2016 एवं भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 यथासंशोधित 2016 के प्रस्तर—3.4.5(IV ख) के मानकों के अनुसार है, सेटबैक में किसी भी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।
  - 4. निकास मार्ग:**— प्रस्तावित भवन में 01.52 मीटर चौड़ाई का 02 स्टेयर केस बनाया जाना है। जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रैवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है। प्रस्तावित भवन के ग्यारहवें तल से सीधे बेसमेन्ट में आने वाली स्टेयर केस को भूतल पर टर्मिनेट कर दिया जाय, या 04 घण्टा रेटिंग के स्मोक चेकडोर/फायर चेकडोर लगाया जाना आवश्यक होगा। किसी भी दशा में ऊपरी तलों से आने वाली स्टेयर केस में बेसमेन्ट तक निरन्तरता नहीं होनी चाहिए। बेसमेन्ट का निर्माण व प्रयोग नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया— 2016 के पार्ट III के क्लोज 12.9 के अनुरूप किया जाना आवश्यक होगा। रैम्प का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया— 2016 के पार्ट III के क्लोज 4.6.1.3(सी) के अनुरूप किया जाना आवश्यक होगा।
  - 5. भवन की ऊँचाई—**34.64 मीटर है।
  - 6. रिफ्यूज एरिया का विवरण:**— रिफ्यूज एरिया हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2016 पार्ट IV के क्लोज 4.12.3 के मानक का पालन किया जाना अनिवार्य होगा।
- D. प्रस्तावित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था एवं जीवरक्षा प्रणाली:**—  
 नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2016 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाएं पूर्ण किया जाना अनिवार्य है:—

1. भूमिगत टैंक— प्रस्तावित भवन में भूमिगत टैंक स्थापित किया जाना आवश्यक नहीं है।
2. पम्प:— प्रस्तावित भवन में भूमिगत टैंक के पास पम्प स्थापित किया जाना आवश्यक नहीं है।
3. होजरील:— प्रस्तावित भवन में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई.एस.—3844 के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
4. वेट राइजर सिस्टम:— प्रस्तावित भवन में वेट राइजर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2016 के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक नहीं है।
5. डाउन कमर सिस्टम:— प्रस्तावित भवन में डाउन कमर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2016 के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
6. यार्ड हाइड्रेंट:— प्रस्तावित भवन परिसर में यार्ड हाइड्रेंट होज कैबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज पाइप तथा ब्रांच एवं फायर सर्विस इनलेट का प्राविधान आई.एस.— 13039:1991 के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
7. हस्त चालित इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम:— प्रस्तावित भवन में मैनुअली आपरेटेड इलेक्ट्रिक फायर अलार्म सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया— 2016 के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
8. स्वचालित डिडेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम:— प्रस्तावित भवन में आटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड अलार्म सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2016 के मानकों के अनुसार आवश्यक नहीं है।
9. स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम:— प्रस्तावित भवन के बेसमेन्ट में आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2016 के मानकों के अनुसार स्थापित किया जाना आवश्यक है।
10. टैरेस टैंक:— प्रस्तावित भवन के टैरेस पर 25,000 लीटर क्षमता का टैरेस टैंक स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
11. टैरेस पम्प:—प्रस्तावित भवन के टैरेस टैंक के पास 900 एल0पी0एम0 क्षमता का टैरेस पम्प स्थापित किया जाना आवश्यक है।
12. प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):— प्रस्तावित भवन के प्रत्येक ब्लॉक में प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर) आई.एस.—2190:2010 के अनुसार स्थापित कराया जाना आवश्यक है।
13. एक्विजिट साइनेज:— प्रश्नगत भवन में एक्विजिट साइनेज स्थापित किया जाना आवश्यक है।
14. पी0ए0 सिस्टम:— पी0ए0 सिस्टम की व्यवस्था का किया जाना आवश्यक है।
15. प्रश्नगत भवन में वैकल्पिक विद्युत श्रोत हेतु जनरेटर की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
16. बेसमेन्ट से धुआँ निकास हेतु नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2016 पार्ट—IV के क्लॉज 4.6.2 के मानकों के अनुसार मेकैनिकल वेन्टीलेशन में मेकैनिकल एक्सट्रैक्टर व एयर इन्टेक मेकैनिकल साफ्ट के माध्यम से किया जाय।
17. प्रश्नगत भवन का बिल्डिंग लाइन के बाहर बेसमेन्ट का जो भी भाग सेटबैक में जा रहा है, उसके लिए नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया— 2016 के पार्ट III के क्लॉज 4.6 के प्रस्तर (सी) के अनुसार बेसमेन्ट के स्लैब की लोड विवरिंग क्षमता 45 टन रखते हुए उसका प्रमाण पत्र स्ट्रक्चलर इंजीनियर से प्राप्त किया जाना आवश्यक है।
18. प्रश्नगत भवन निर्माण में नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया— 2016 के पार्ट IV के एनेक्स—डी एवं ई का पालन अनिवार्य होगा।
19. अनुमोदित मानचित्र में विचलन/परिवर्तन/परिवर्द्धन की दशा में निर्गत प्रोविजनल अग्निशमन प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

उपरोक्तानुसार ONER- SRI. GHURE LAL S/O LET. BALLI & BABUA PRASAD, SAKALNARAYAN S/O LET. VISSU ALAIS VISHWNATH, VILL-HASIMPUR, PARAGANA- SHIVPUR,

DISTT- VARANASI द्वारा आराजी नं0—MI 8 & MI 12, मौजा लालपुर अनौला, परगना—शिवपुर, वाराणसी पर प्रस्तावित ग्रुप हाउसिंग भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अग्निशमन प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा उक्त भवन में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 एवं यथा संशोधित 2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया—2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं किये जाने पर निर्गत प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक— अनुमोदित मानचित्र।

06 MAY 2019



(अनिमेष सिंह)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
मुख्य अग्निरक्षण अधिकारी  
वाराणसी

प्रतिलिपि:—

1. अग्निशमन अधिकारी, चेतगंज, वाराणसी को उनकी आख्या दिनांक: 18.04.2019 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. SRI. GHURE LAL S/O LET. BALLI & BABUA PRASAD, SAKALNARAYAN S/O LET. VISSU ALAIS VISHWNATH, VILL-HASIMPUR, PARAGANA- SHIVPUR, DISTT- VARANASI को उपरोक्तानुसार अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रेषित।